By

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
होली हैवन पब्लिक स्कूल
ढिंढाली (ऊन)

पत्रांक/शि0स0/ 5365 /2008-09 दिनांक : 27/09/08

विषय :- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या/107315-06-98-18 (एस)(7)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 1998 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र सं0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति मुजफ्फरनगर की बैठक दिनांक 21/8/08 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों को वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किये जायें।
3. रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों का अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।
10. 5 वर्ष की अवधि में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(रविदत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

MANAGER
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

PRINCIPAL
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

पृ0सं0/शि0स0/ /2008-09 दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ऊन

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ / सहारनपुर मण्डल।

सेवा में,

प्रबन्धक, होली हेवन पब्लिक जू0हा0स्कूल
ढिढावली, (ऊन) मुजफ्फरनगर

पत्रांक सं0: प्रबन्ध / 1565-69 / 2009-10 दिनाँक: 30.7.9

विषय:-- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एव निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 25.07.2009 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646 / 15-6-917-18 एस (7) 89 / शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :--

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं ... [illegible]
[illegible] ... अध्यापकों को निर्धारित वेतन ... [illegible] ... का भुगतान ... [illegible]

... [illegible] छात्रों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का ... [illegible] समभाव तथा ... [illegible] मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासन ... का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाये।

... [illegible] ... का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों ... [illegible] निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क / कैपिटेशन ... रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

... [illegible] विद्यालय अपने शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान ... [illegible] देने का जिम्मेदार ... [illegible] परिषद के समान अर्हता वाले ... [illegible] शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।

... [illegible] शिक्षा अधिकारी की ... स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा ... [illegible]

8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

MANAGER
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

PRINCIPAL
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20X25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ/सहारनपुर मण्डल

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद ।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। सम्बन्धित

MANAGER
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ/सहारनपुर मण्डल

jhr/ks

PRINCIPAL
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI